

में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

22-2-26 को

पेश हो

पत्रावली पेश हुई, वकील वकील/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

23-2-26 को

पेश हो

पत्रावली पेश हुई वकील पत्र कार उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने की वजह से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली दिनांक----- को पेश हो।

25-2-26

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रावली उपस्थित। वकील आदि ने प्रार्थना पत्र दाखल करवा दिए जाते हैं। बाद में पेश करने हेतु स्वीकृति दिये जाते हैं।

गारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्

प्रत्यक्ष में प्रार्थना पत्र त फाँट करे विज्ञापन  
दिने जाने बाबत पेश कर सिद्धत कि  
हुकम बाद को विज्ञापन कर लगे जे  
मे पेश करना जइला ही नया बाद पेश  
करने की अनुमति के साथ बाद विज्ञापन किया  
जावे। वही आदि के प्रार्थना पत्र को  
आपचित में लीकार किया जाकर नया  
बाद पेश दिने जाने की अनुमति के साथ  
बाद विज्ञापन किया जाता ही पत्राली के  
शुभार होवा कारवल रहत को।

निर्णय आज दिनांक 28/2/2026 को  
मेरे हस्ताक्षर सुभाषा जय / 